भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1643

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य दुकान डीलरों का कल्याण

1643. प्रो. सौगत राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों में उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को अनाज, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल जैसी विभिन्न वस्तुओं के लिए स्वीकृत कमीशन की दरें अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न वस्तुओं के लिए स्वीकृत कमीशन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संपूर्ण देश में ऐसे कमीशन को बढ़ाने और एक समान बनाने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों को मार्जिन के रूप में एक राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान के प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप में की जाएगी। अतः उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन की वास्तविक दर, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकती हैं।

उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की सीमित भूमिका है। केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल 2022 से एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को बढ़ाया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी	एफपीएस डीलर मार्जिन के घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 31.03.2022 तक)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 01.04.2022 से)	केंद्रीय हिस्सा (प्रतिशत में)
सामान्य श्रेणी	मूलभूत मार्जिन	70	90	50
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21	
विशेष श्रेणी	मूलभूत मार्जिन	143	180	75
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26	

**नोट: विशेष श्रेणी राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्य शामिल हैं।*

तथापि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, सरकार के पास उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****